भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 364

02.02.2026 को उत्तर के लिए

असम के संरक्षित क्षेत्रों में हरित आवरण का तेजी से क्षय

364. श्री गौरव गोगोईः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उपग्रह इमेजरी पर आधारित एक अध्ययन की जानकारी है, जिसमें संरक्षित भूमि के फसल भूमि और निर्मित क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण असम के पानी दिहिंग पक्षी अभयारण्य के भीतर वन और घास के मैदान के आवरण के भारी नुकसान का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान अभयारण्य के भीतर वन आवरण, कोर वन और घास के मैदान में गिरावट की सीमा और फसल भूमि में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभयारण्य के भीतर सीमित गश्त और अपर्याप्त सुरक्षा के कारण छोटे स्तर की कृषि की बढ़ावा मिलने संबंधी निष्कर्षों की जांच की है;

(घ) पानी दिहिंग पक्षी अभयारण्य और असम के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण, भूमि-उपयोग परिवर्तन और आवास विखंडन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का संरक्षित क्षेत्रों की उपग्रह-आधारित निगरानी, प्रवर्तन तंत्र और समय-समय पर पारिस्थितिक संपरीक्षा को मजबूत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य के किसी भी क्षेत्र को खेती की ज़मीन या निर्माण क्षेत्र में नहीं बदला गया है और अभयारण्य के अंदर कृषि कार्य भी नहीं किया जाता है। असम में संरक्षित क्षेत्रों, जिनमें पानीदिहिंग अभयारण्य भी शामिल है, की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

(i) वन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित गश्त की जाती है जिसमें जीपीएस युक्त गश्त, ज़िला प्रशासन के साथ संयुक्त गश्त तथा अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष अभियान शामिल हैं।

(ii) निगरानी के उपाय जैसे ट्रैप कैमरों की संस्थापना, ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस निगरानी, वायरलेस संचार तथा अवैध गतिविधियों की निगरानी और पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना।

(iii) अतिक्रमण रोकने के लिए सीमा स्तंभ और सूचना बोर्ड द्वारा सीमाओं का भौतिक चिन्हांकन करना।

(iv) पर्यावास प्रबंधन से जुड़े कार्य, जैसे अवांछित प्रजातियों को हटाना तथा आर्द्रभूमि और घास के मैदानों का पुनर्स्थापन।

(v) सीमावर्ती गांवों में पारि-विकास समितियों (ईडीसी) का गठन करना और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(vi) अतिक्रमण सहित वन संबंधी अपराधों, के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना त्वरित प्रतिक्रिया टीमें बनाना।

(vii) भूमि रूपांतरण को रोकने और अतिक्रमण हटाने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु राजस्व, पुलिस, स्थानीय प्रशासन जैसे विभागों के साथ समन्वय करना।

(ङ) असम राज्य सरकार ने बताया है कि अतिक्रमण की पहचान और भूमि उपयोग में बदलाव की जांच नियमित रूप से की जाती है। इसके लिए लगातार गश्त, निगरानी, अतिक्रमण हटाने के अभियान और पारि-विकास समितियों के साथ तालमेल किया जाता है। इसके अलावा, दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नियमित पारिस्थितिक आकलन और पर्यावास की निगरानी की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
